

राजस्थान - सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान-जयपुर।

क्रमांक: प्रशिक्षण/जीएनएम/जी-88/2010/1673

दिनांक- 25.08.2010

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर,

विषय:- जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण सत्र 2010-2011 की काउन्सिलिंग हेतु जारी विज्ञप्ति का प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस निदेशालय की विज्ञप्ति क्रमांक प्रशिक्षण /जीएनएम /जी-88 /2010/1672 दिनांक 25.08.2010 की दस प्रतियां संलग्न कर लेख है कि इनका प्रकाशन राजस्थान राज्य के राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर के सभी संस्करणों में दिनांक 28.08.2010 को कराने का श्रम करें।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Plm

अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान- जयपुर

क्रमांक: प्रशिक्षण/जीएनएम/जी-88/10/1673
08.2010

दिनांक- 25.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
4. उप शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान जयपुर।
5. रजिस्ट्रार राजस्थान नर्सिंग काउन्सिल जयपुर।
6. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि पत्र के साथ संलग्न विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
7. जन सम्पर्क अधिकारी मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त काउन्सिलिंग कार्यक्रम को समय-समय पर समाचार पत्रों/विभागीय प्रसारणों में प्रकाशित/प्रसारित कराने का श्रम करें।
8. नोटिस बोर्ड मुख्यालय।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान- जयपुर

राजस्थान - सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान-जयपुर।

क्रमांक: प्रशिक्षण/जीएनएम/जी-88/2010/1672

दिनांक-25.08.2010

:: विज्ञापित ::

जनरल नर्सिंग एवम् मिडविफरी प्रशिक्षण कोर्स 2010-2011 में प्रवेश हेतु काउन्सलिंग कार्यक्रम

इस निदेशालय की प्रवेश विज्ञापित क्रमांक:प्रशिक्षण/जीएनएम/जी-88/2010/1109-10 दिनांक 21.05.10. के संदर्भ के निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की छटनी/जांच के पश्चात आरक्षण की श्रेणी वार राज्य स्तरीय वरीयता के आधार पर राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल्स जिनकी सूची विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है, में प्रवेश हेतु कम्प्यूटराईज्ड काउन्सलिंग के लिए निम्न श्रेणी/वर्ग के सम्मुख अंकित प्राप्तांक प्रतिशत तक के अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेजों तथा रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर को देय राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश हेतु 180/- रुपये तथा निजी प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी 10,000/- रुपये के डिमान्ड डॉफ्ट के साथ प्रशिक्षण केन्द्र आवंटन हेतु चयन समिति के सम्मुख राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, बी0-39 सरदार पटेल मार्ग सी-स्कीम, जयपुर के यहां निम्नानुसार उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाता है :-

श्रेणी/वर्ग	प्राप्तांक प्रतिशत	दि० प्रातः 9.00 बजे
राजकीय/निजी प्रशिक्षण केन्द्र पर चयन हेतु		
विकलांग विभागीय सेवारत कर्मचारी	अनुसूचित जाति/जन जाति 35.000 % तथा सामान्य/ओबीसी/एसबीसी श्रेणी के 40.000 % तक प्राप्तांकों के बायोलोजी ग्रुप एवं अन्य विषय ग्रुप के समस्त महिला/पुरुष अभ्यर्थी।	13.09.10
सामान्य महिला (अ.जा.,अ.ज.जा.,अ.पि.व.,वि.पि. व.,सामान्य)	बायोलोजी ग्रुप 63.692 % तक प्राप्तांकों के अ.जा.,अ.ज.जा., अ.पि.व.,वि.पि.व., तथा सामान्य संवर्ग के समस्त महिला अभ्यर्थी	14.09.10
अनु.जाति महिला अनु.जन जाति महिला (जन जातिय उपयोगना क्षेत्र सहित)	बायोलोजी ग्रुप 35.000 % तक प्राप्तांकों के समस्त अ.जा महिला अभ्यर्थी तथा बायोलोजी ग्रुप 35.000 % तक प्राप्तांकों के समस्त अ.ज.जा. महिला अभ्यर्थी। अन्य विषय ग्रुप 59.000 % तक प्राप्तांकों के समस्त अ.ज.जा. (टीएसपी, एस टी सहित) महिला अभ्यर्थी।	15.09.10
ओ.बी.सी./एसबीसी महिला	बायोलोजी ग्रुप 58.308 % तक प्राप्तांकों के ओबीसी/एसबीसी तथा बायोलोजी ग्रुप 40.000 % व अन्य विषय ग्रुप 73.385 % तक प्राप्तांकों के एसबीसी महिला अभ्यर्थी	16.09.10
सामान्य पुरुष (अ.जा.,अ.ज.जा.,अ.पि.व.,वि.पि. व., सामान्य) अनु.जाति पुरुष अनु.जन जाति पुरुष (जन जातिय उपयोगना क्षेत्र सहित) ओ.बी.सी./एसबीसी पुरुष	बायोलोजी ग्रुप 72.000 % तक प्राप्तांकों के अ.जा.,अ.ज.जा., अ.पि.व.,वि.पि.व., सहित सामान्य संवर्ग के समस्त पुरुष अभ्यर्थी। बायोलोजी ग्रुप 68.000 % तक प्राप्तांकों के समस्त अ.जा पुरुष अभ्यर्थी, बायोलोजी ग्रुप 62.000 % तक प्राप्तांकों के समस्त अ.ज.जा. (टी.एस.पी एस.टी सहित) पुरुष अभ्यर्थी, बायोलोजी ग्रुप 69.600 % तक के ओबीसी/एसबीसी तथा बायोलोजी ग्रुप 66.308 % तक एसबीसी के पुरुष अभ्यर्थी	18.09.10
निजी प्रशिक्षण केन्द्र पर चयन हेतु		
सामान्य महिला (अ.जा.,अ.ज.जा.,अ.पि.व.,वि.पि. व.,सामान्य)	बायोलोजी ग्रुप 53.800 % तक प्राप्तांकों के अ.जा.,अ.ज.जा., अ.पि.व.,वि.पि.व.,सहित सामान्य महिला अभ्यर्थी।	20.09.10
सामान्य महिला (अ.जा.,अ.ज.जा.,अ.पि.व.,वि.पि. व.,सामान्य)	बायोलोजी ग्रुप 40.000 % तक व अन्य विषय ग्रुप 71.286 % तक के प्राप्तांकों के अ.जा.,अ.ज.जा.,अ.पि.व., वि.पि.व., सहित सामान्य महिला अभ्यर्थी।	21.09.10
सामान्य महिला (अ.जा.,अ.ज.जा.,अ.पि.व.,वि.पि. व.,सामान्य)	अन्य विषय ग्रुप 67.571 % तक के प्राप्तांकों के अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व.,वि.पि.व., सहित सामान्य महिला अभ्यर्थी।	23.09.10
अनु जाति/टीएसपी एस.सी महिला अभ्यर्थी	अन्य विषय ग्रुप 60.000 % तक प्राप्तांकों के अनु.जाति (टीएसपी एस सी सहित) महिला अभ्यर्थी तथा अन्य विषय ग्रुप 35.000 % तक प्राप्तांकों के टीएसपी एस सी महिला अभ्यर्थी।	24.09.10
अनु.जन जाति/ टीएसपी एस.टी तथा सहरिया जनजाति महिला अभ्यर्थी	अन्य विषय ग्रुप 59.231 % तक प्राप्तांकों के एस टी (टीएसपी एस.टी सहित)महिला अभ्यर्थी तथा अन्य विषय ग्रुप 51.692 % तक प्राप्तांकों के टीएसपी एस.टी महिला अभ्यर्थी एवं अन्य विषय ग्रुप 35.000 % तक प्राप्तांकों के सहरिया ज. जा. महिला अभ्यर्थी	25.09.10

एस बी सी महिला	अन्य विषय ग्रुप 64.600 % तक प्राप्तांकों के ओबीसी/एसबीसी महिला अभ्यर्थी	27.09.10
ओबीसी/एसबीसी महिला	अन्य विषय ग्रुप 61.692 % तक प्राप्तांकों के ओबीसी/एसबीसी महिला अभ्यर्थी तथा अन्य विषय ग्रुप 51.231 % तक प्राप्तांकों के एस बी सी महिला अभ्यर्थी	28.09.10
सामान्य पुरुष (अ.जा.,अ.ज.जा.,अ.पि.व.,वि.पि.व. सामान्य)	बायोलोजी ग्रुप 63.692 % तक प्राप्तांकों के अ.जा.,अ.ज.जा.,अ.पि.व.,वि.पि.व. तथा सामान्य संवर्ग के समस्त पुरुष अभ्यर्थी	29.09.10
अनु.जाति पुरुष अनु.जन जाति पुरुष अनु.जन जाति पुरुष टी.एस.पी.(एस.सी/एस.टी) तथा सहरिया जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी	बायोलोजी ग्रुप 59.077 % तक प्राप्तांकों के समस्त अ.जा (टीएसपी एस.सी सहित) पुरुष अभ्यर्थी, बायोलोजी ग्रुप 35.000 % तक प्राप्तांकों के टीएसपी एस.सी पुरुष अभ्यर्थी। बायोलोजी ग्रुप 56.308 % तक प्राप्तांकों के एस.टी (टीएसपी एस.टी सहित) के पुरुष अभ्यर्थी, बायोलोजी ग्रुप 51.200 % तक प्राप्तांकों के टीएसपी एस. टी। बायोलोजी ग्रुप 35.000 % तक प्राप्तांकों के सहरिया जनजाति पुरुष अभ्यर्थी	30.09.10
ओ.बी.सी./एसबीसी पुरुष	बायोलोजी ग्रुप 60.154 % तक प्राप्तांकों के ओबीसी/एसबीसी के पुरुष अभ्यर्थी बायोलोजी ग्रुप 55.231 % तक प्राप्तांकों के एसबीसी के पुरुष अभ्यर्थी।	01.10.10

40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता प्राप्त अभ्यर्थी (वन लेग अर्थात केवल एक पैर से विकलांग) ही पात्र है। अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र छः माह से अधिक अवधि का नहीं होना चाहिए। आरक्षित वर्ग के महिला अभ्यर्थी का पिता का नाम का जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा पति के नाम का नहीं।

राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेशित अभ्यर्थी को निर्धारित 180/- रुपये के डिमान्ड ड्रॉफ्ट के साथ मौके पर अपने मूल शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेज जमा करवाना अनिवार्य होगा। निजी प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेशित अभ्यर्थी को 10,000/- रुपये का डिमान्ड ड्रॉफ्ट, रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर के नाम जमा कराना होगा तथा 38,000/- रुपये कुल फीस राशि में से शेष राशि 28,000/- रुपये प्रवेशित संस्थान पर उपस्थिति देते समय अपने मूल शैक्षणिक व अन्य दस्तावेजों के साथ सत्यापन हेतु जमा करवाना अनिवार्य होगा।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर समय-समय पर जारी अनुदेशिका/दिशानिर्देशों में जिन बोर्ड/संस्थान को समकक्ष मान्यता नहीं है, ऐसे बोर्ड/संस्थान से प्राप्त शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थी चयन के पात्र नहीं है, इसलिए काउन्सलिंग हेतु उपस्थित नहीं होये।

उक्त काउन्सलिंग में राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूलस में प्रवेश हेतु निर्धारित राजकीय कोटे की सीटों की संख्या के (राजकीय में चार/ निजी में तीन) गुणा अभ्यर्थियों को काउन्सलिंग हेतु बुलाया गया है। अतः आवश्यक नहीं है बुलाये गये सभी अभ्यर्थियों का चयन होना सम्भव हो। राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों की किसी श्रेणी/वर्ग में सीटें भरते ही या अभ्यर्थी द्वारा चाहने पर उच्च मेरिट वाले अभ्यर्थी को निजी प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश हेतु काउन्सलिंग शुरू कर दी जावेगी। काउन्सलिंग में आने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा। यदि कोई अभ्यर्थी राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश हेतु 180/- रुपये व निजी प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी 10,000/- रुपये का डिमान्ड ड्रॉफ्ट साथ नहीं लायेगा तो उसे काउन्सलिंग में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।



(बी० के० दोसी)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान-जयपुर